न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 196/2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/453**
दायर दिनांक :– 25.11.2024 **निर्णय दिनांक :– 25.05.2026**

1. भजनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
2. मोहनराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
3. भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
4. सोमारी पत्नी रामनिवास जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
5. कालीदेवी पत्नी महिपाल जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
6. महिपाल पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
7. रामनिवास पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
8. ताजमोहम्मद पुत्र कायमदीन जाति मुसलमान निवासी कालू खां की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण–

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. एन.टी.पी.सी. रेन्युबल ऐनर्जी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि ललित मेहता हाल भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण–

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 131,136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितः– 1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादीगण का वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम भड़ला (चूहड़ों की बस्ती) तहसील बाप में वादी संख्या 1 के खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/9 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/486 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, वादी संख्या 2 के नाम खसरा नम्बर 9/2 रकबा 4.8562 हैक्टेयर व वादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम सहखातेदारी का खसरा नम्बर 9/5 रकबा 6.4750 हैक्टेयर व वादीगण संख्या 3, 4, 8 के खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/7 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, वादी संख्या 5 के खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/8 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, वादी संख्या 6 के खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/12 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, वादी संख्या 7 की खातेदारी अधिकारों की खसरा नम्बर 9/13 रकबा 0.4047 हैक्टेयर स्थित है। इन भूमियों का कुल रकबा 29.1375 हैक्टेयर अर्थात 180–00 बीघा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का बहैसियत खातेदार काश्तकार भूमि कय करने से लगातार निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण द्वारा भूमि कय करने के समय से ही एक कृषि नलकूप संचालित हो रहा था, और वादग्रस्त काश्त भूमि के चारों ओर पत्थर की पटीया खड़ी कर कांटेदार तार जाली की हुई थी। कृषि नलकूप का विधुत कनेक्शन

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

वादिनी संख्या 5 कालीदेवी के नाम से प्रविर्तीत करा रखा है। कांटेदार तार जाली से घेर रखी 180 बीघा भूमि पर वादीगण का बिना किसी रूकावट के अरसे दराज से कब्जा काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। वादग्रस्त सभी नौ खातों का कुल रकबा 29.1375 हैक्टेयर मौके पर वादीगण द्वारा तारंबदी सहित कब्जा प्राप्त कर लिया जाने के बाद वादीगण निरन्तर आबाद रूप से आज दिन तक कब्जा काश्त है। सिंचित फसलों की बुवाई कर पैदावर लेते आ रहे है परन्तु वादग्रस्त काश्त भूमि की तरमीम मौके पर तारबंदी से घेर रखी कुल 180 बीघा के स्थान पर तरमीम 119–17 बिस्वा राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज है, और 60–03 बीघा भूमि राजस्व नक्शा में कम दर्ज कर रखी है। वादीगण अपनी खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की भूमि गलत दर्ज हो रखी तरमीम को निरस्त करवाकर कब्जा काश्त माफिक तरमीम दुरूस्त करवाकर 119–17 बीघा के स्थान पर 180 बीघा करवाने के जायज कानूनन अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 के भूमि पैमाईश आवेदन पर राजस्व पैमाईश दल द्वारा दिनांक 22.11.2024 को वादीगण की भूमि की पैमाईश करने पर राजस्व नक्शा में वादग्रस्त भूमियों की तरमीम 119–17 बीघा दर्ज पाई गई, जबकि वादीगण का मौका पर माफिक खातेदारी कब्जा काश्त 180 बीघा पर सीमाकंन रिपोर्ट में बताये नजरी नक्शा में मार्क ए से एफ के बीच 180 बीघा पर वादीगण का कब्जा होना और उसी माफिक कांटेदार तार व जाली से घेरी हुई अन्दर वादीगण की काश्त होना और वर्षो पुराना कब्जा काश्त नलकूप, मकान इत्यादि होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वादीगण गलत तरमीम को दुरूस्त करवाकर 119–17 बीघा के स्थान पर 180 बीघा तरमीम मौका फर्द रिपोर्ट माफिक वादग्रस्त भूमि की करवाई जाने के जायज हकदार है।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 जरिये प्रतिनिधि उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने मौका रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भड़ला के खसरा नम्बर 9/1, 9/9, 9/486, 9/2, 9/5, 9/7, 9/8, 9/12, 9/13 की वर्तमान नक्शा व जमाबंदी रिकार्ड का क्षेत्रफल मिलान करने पर नक्शा मे खसरा वार कम तरमीम हो रखी है। उपरोक्त खसरों की तरमीम पूर्व में 120 बीघा भूमि पर है, तथा जमाबंदी में रकबा 180 बीघा है जो वर्तमान नक्शों की तरमीम से 60 बीघा कम है। पूर्व तरमीम को निरस्त करते हुए खसरा नम्बर 9/5, 9/7, 9/8, 9/12, 9/13 की 120 बीघा भूमि एक ही तरफ तरमीम कर शेष खसरा नम्बर 9/1, 9/2, 9/9 व 9/486 रकबा 60 बीघा प्रस्तावित भूमि की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित रहेगा। पत्रावली बहस में रखी गई

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन, अवलोकन एवं अध्ययन करने पर पाया गया कि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की भूमि सहरद मौजा भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 9/1 रकबा 3.2375 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/9 रकबा 1.2141 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/486 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/2 रकबा 4.

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

8562 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 9/5 रकबा 6.4750 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 9/7 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/8 रकबा 4.0469 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/12 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9/13 रकबा 0.4047 हैक्टेयर कुल रकबा 29.1375 हैक्टेयर अर्थात 180–00 बीघा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के खसरान् का रकबा व जमाबंदी के क्षेत्रफल में भिन्नता है जो तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से साबित है। उपरोक्त खसरों की तरमीम पूर्व में 120 बीघा भूमि पर है, तथा जमाबंदी में रकबा 180 बीघा है जो वर्तमान नक्शों की तरमीम से 60 बीघा कम दर्ज है। खसरा नम्बर 9/5, 9/7, 9/8, 9/12, 9/13 कुल रकबा 120 बीघा की तरमीम को दुरूस्त किया जाकर तथा खसरा नम्बर 9/1, 9/2, 9/9 व 9/486 कुल रकबा 60 बीघा की तरमीम पटवारी हल्का की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.206 के अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट से वाद वादीगण साबित है। वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है कि तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2026 व मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 9/5, 9/7, 9/8, 9/12, 9/13 कुल रकबा 120 बीघा का एकीकरण करते हुवे तथा शेष खसरा नम्बर 9/1, 9/2, 9/9 व 9/486 कुल रकबा 60 बीघा की तरमीम नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप, जिला फलोदी (राज.)

Satya...

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

1. भजनाराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
2. मोहनराम पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
3. भंवरूराम उर्फ भंवरलाल पुत्र ठाकराराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
4. सोमारी पत्नी रामनिवास जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
5. कालीदेवी पत्नी महिपाल जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
6. महिपाल पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
7. रामनिवास पुत्र बाबूराम जाति विश्नोई निवासी उमाणियों की ढाणी ढढू तह. व जिला फलोदी
8. ताजमोहम्मद पुत्र कायमदीन जाति मुसलमान निवासी कालू खां की ढाणी तहसील बाप जिला फलोदी

वादीगण—

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. एन.टी.पी.सी. रेन्युबल ऐनर्जी जरिये अधिकृत प्रतिनिधि ललित मेहता हाल भड़ला तहसील बाप जिला फलोदी

प्रतिवादीगण—

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 131,136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

मुकदमा संख्या :— 196/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू सत्य नारायण—I पीठासीन अधिकारी एवं हाजिर करणीसिंह राठौड़ मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2026 व मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम भड़ला (चूहड़ो की बस्ती) पटवार क्षेत्र नुरे की भुर्ज तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 9/5, 9/7, 9/8, 9/12, 9/13 कुल रकबा 120 बीघा का एकीकरण करते हुवे तथा शेष खसरा नम्बर 9/1, 9/2, 9/9 व 9/486 कुल रकबा 60 बीघा की तरमीम नजरी नक्शा अनुसार किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावें।नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर	फीस सदी सालाना आज की तारीख
वसूल याबी तक	को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.05.2026 को जारी की गई।

(सत्य नारायण—I आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।